fogxkoyksdu

इस प्रतिवेदन में पाँच निष्पादन लेखापरीक्षाएँ, जैसे; मध्याहन भोजनयोजना, जेल का प्रबंधन, अशक्त व्यक्तियों के कल्याण की योजनाएँ, विधान सभा सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना एवं सुरक्षा तथा सफाई सेवाओं का यंत्रीकरणतथा ₹ 189.66 करोड़ सहित 15 पैराग्राफ जो अधिक/निरर्थक/निष्फल/व्यर्थ/परिहार्य व्यय निष्क्रिय निवेश, हानि, निधियों का अवरोधन इत्यादि से संबंधित थे। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं।

2009–14 की अवधि के दौरान राज्य सरकार का कुल व्यय ₹ 24319.45 करोड़ से बढ़कर ₹ 32726.31 करोड़ हो गया, राजस्व व्यय ₹ 13900.88 करोड़ से बढ़कर ₹ 22366.52 करोड़ से 60.90 *प्रतिशत* तक बढ़ गया, गैर-योजना राजस्व व्यय ₹ 9158.12 करोड़ से बढ़कर 14904.24 करोड़ तक 62.74 *प्रतिशत* बढ़ गया तथा पूंजीगत व्यय ₹ 4717.27 करोड़ से घटकर 4707.42 करोड़ हो गया।

fu"iknu y[kkijh{kk

e/;kgu Hkkstu ;kstuk

- स.शि.अ. के अंतर्गत समर्थित शि.गा.यो. एवं वै.न.शि. केंद्रों में अध्ययनरत 18000 बच्चों में से केवल 1154 बच्चों को 2013-14 के दौरान सम्मिलित किया गया था।

¼iSjkxkQ 2-1-2-1½

- विद्यालयों में बच्चों के नामांकन, उपस्थिति एवं धारणीयता को नहीं बढ़ाया जा सका था। चयनित प्राथमिक विद्यालयों में, औसत उपस्थिति 2009-10 के 74 *प्रतिशत* से कम होकर 2013-14 में 66 *प्रतिशत* हो गई।

¼iSjkxkQ 2-1-4-1 ,oa 2-1-4-3½

- प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों में विनिर्धारित दिनों की संख्या तक म.भो. नहीं दिया गया था। 2010-14 के दौरान पकाए गए भोजन के 2102 नमूनों में से, कुल 1876 नमूने (89 *प्रतिशत*) पोषण मूल्य के लिए परीक्षण में विफल रहे।

*¼iSjkxkQ 2-1-5-2 ¼**ii**½ ,oa ¼**iii**)½*

- सेवा प्रदाताओं ने खाद्य सुरक्षा विभाग से आवश्यक लाइसेंस प्राप्त नहीं किया एवं सिविक एजेंसियों व अग्नि विभाग से बिना ''अनापत्ति प्रमाण-पत्र'' लिये ही अपनी रसोई चला रहे थे।

*¼iSjkxkQ 2-1-5-2 ¼**iv**½½*

tsyksa dk izcU/ku

- जेलों में 6250 की क्षमता के मुकाबले 14209 कैदी होने के कारण जेल अत्यंत भीड़ युक्त थी। नरेला, बपरोला एवं घिटोरनी में भूमि अधिग्रहण में देरी या अधिग्रहण न होने के कारण नई जेलों का प्रस्तावित निर्माण कार्यान्वित नहीं हो सका। मण्डोली जेल का

निर्माण अवधारणा, बनावट एवं अवश्यकताओं में बार–बार बदलाव के कारण पूरा नहीं हो सका।

¼i¦jkxkQ 2-2-1] 2-2-4-1 (i) ,o (ii)½

- सुरक्षा उपकरणों जैसे सीसीटीवी पर अत्याधिक खर्च करने के बावजूद, प्रतिबंधित वस्तुओं के प्रवेश पर नियंत्रण अपर्याप्त था।

¼i¦jkxkQ 2-2-3-5 ,o 2-2-6-1½

- 1:6 के अभीष्ट अनुपात के मुकाबले, संस्वीकृत संख्या के अनुसार गार्ड कर्मचारियों एवं कैदियों का अनुपात 1:11 से 1:14 एवं वास्तविक पदासीन संख्या के अनुसार 1:16 से 1:21 था।

¼i¦jkxkQ 2-2-3-6½

- चिकित्सकों, चिकित्सा कर्मचारियों एवं प्रयोगशाला सुविधाओं की कमी के कारण 93224 कैदी 2009-14 के दौरान बाहरी अस्पतालों में भेजे गये, जिनमें से 77232 केवल बाहय चिकित्सा सेवा के लिए भेजे गये।

¼i¦jkxkQ 2-2-4-4½

- फैक्ट्री संचालन के लेखे नहीं बनाये गये। संविदा प्रदान करने एवं लागत निर्धारण में अनियमितताओं के कारण परिहार्य घाटे के मामले पाये गये।

¼i¦jkxkQ 2-2-5-1½

v'kä 0;fä;k d dY;k.k d fy, ;ktuk ¼v-0;-½

- विभाग ने घर–घर कोई स्वतंत्र सर्वे नहीं कराया बल्कि दिल्ली में रहने वाले अशक्त व्यक्तियों का विस्तृत डाटाबेस बनाने हेतु जनगणना सांख्यिकी पर निर्भर था। उन्होंने अ.व्य. के बारे में पता लगाने की राज्य अशक्तता नीति का विकास नहीं किया।

¼i¦jkxkQ 2-3-2-1 ,o 2-3-2-2½

- विभाग ने योजना के अन्तर्गत् विनिर्दिष्ट लाभार्थियों का सत्यापन पूरा नहीं किया और अयोग्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिला।

¼i¦jkxkQ 2-3-4-1½

- मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए निर्मित आशा किरण काम्प्लेक्स 350 व्यक्तियों की क्षमता की तुलना में 970 निवासियों की भीड़-भाड़ से युक्त था जबकि इसके पास 502 देखभाल करने वाले स्टॉफ की तुलना में मात्र 215 स्टाफ हैं।

¼i¦jkxkQ 2-3-5 (i) ,o (iii)½

- स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी तथा स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी निर्धारित बैठकें करने में नियमित नहीं थे। एससीसी नवंबर 2004 में अपने प्रारंभ से अब तक निर्धारित 20 बैठकों के विरूद्ध केवल चार तथा एस.ई.सी. ने अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित 40 बैठकों के प्रति केवल एक बार बैठक की।

¼i/jkxkQ 2-3-7-1½

- विभाग दिल्ली के 52330 अशक्त बच्चों के लिए 1250 बच्चों की क्षमता रखने वाले केवल छः विद्यालय चला रहा था। फिर भी यह विद्यालय अकादमी स्टाफ की 50 *प्रतिशत* से अधिक तक की कमी का सामना कर रहे थे।

¼i/jkxkQ 2-3-7-3½

- अ. व्य. के लिए सरकारी भवनों तथा सार्वजनिक स्थलों पर सुविधाओं का अभाव था।

¼i/jkxkQ 2-3-7-6½

fo/kku lHkk lnL; LFkkuh; {k= fodkl ;kstuk ¼,e ,y , ,y , Mh ,l½

- एम एल ए एल ए डी एस के दिशानिर्देशों में कई कमियाँ थीं जिससे योजना के क्रियान्वयन में स्पष्टता तथा पारदर्शिता का अभाव था। कई प्रावधानों से एम एल ए एल ए डी एस के दिशानिर्देशों के प्रभाव में धीरे-धीरे कमी आ गई।

¼i/jkxkQ 2-4-2 ,oa 2-4-2-1½

- श.वि.वि. ने अपेक्षित पूर्व आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए बिना ₹ 39.90 करोड़ के 248 निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया

¼i/jkxkQ 2-4-4-2 ,oa 2-4-5-4½

- योजना के अंतर्गत कार्य टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु आरंभ किया गया था। तथापि, ₹ 277.36 करोड़ के व्यय वाले 3160 निर्माण कार्यों में 60 *प्रतिशत* निधियाँ वर्तमान परिसम्पत्तियों के रखरखाव व सुधार पर खर्च की गई तथा ₹ 61.94 करोड़ के व्यय वाले 585 निर्माण कार्य दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट नहीं थे।

¼i/jkxkQ 2-4-5-1½

- कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निष्पादित किए गए कार्यों में बहुत-सी अनियमितताएँ जैसे कि व्यय का आधिक्य, संस्वीकृत कार्यों का अप्राधिकृत रद्दीकरण/समापन, कार्यों के सौंपने एवं समापन में देरी, निविदाओं को बिना आमंत्रित किए कार्य को सौंपना इत्यादि थीं।

¼i/jkxkQ 2-4-7½

- श.वि.वि. ने योजना के अन्तर्गत निर्मित परिसम्पत्तियों हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर व स्टॉक रजिस्टर नहीं रखा था। इसने योजना निधियों की लेखापरीक्षा एवं कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतिकरण हेतु किसी तंत्र को स्थापित नहीं किया

गया था। कार्यान्वयन एजेंसियों के द्वारा निधियों के प्रभावी उपयोग हेतु आंतरिक जाँच एवं नियंत्रण को सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र नहीं था।

¼iSjkxzkQ 2-4-8-1] 2-4-8-2 ,oa 2-4-8-3½

lj{k.k rFkk LoPNrk lsokvks dk ;=hdj.k

- दि.न.नि. में निर्धारित समयसीमा के भीतर प्राप्त किए जाने वाले स्वच्छता सेवाओं के नियत लक्ष्यों के साथ कोई दीर्घावधि योजना नहीं थी। वार्षिक योजनाएँ भी वास्तविक आवश्यकताओं पर आधारित नहीं थी।

¼iSjkxzkQ 2-5-2½

- 2013–14 के दौरान कचरे के प्रभावी एकत्रीकरण व पृथक्करण हेतु दि.न.नि. की उपलब्धि मात्र 17.44 तथा 25.30 *प्रतिशत* थी।

¼iSjkxzkQ 2-5-3-2 ,oa 2-5-3-3½

- 2013–14 के दौरान मात्र 41 *प्रतिशत* कचरे का तथा 47 *प्रतिशत* निर्माण व विध्वंस अवशिष्ट का ही प्रसंस्करण किया गया था, जबकि बाकी कचरा भराव क्षेत्रों में डाल दिया गया।

*¼iSjkxzkQ 2-5-3-6 **(i)** ,oa **(ii)**½*

- दि.वि.प्रा. द्वारा, क.भ.क्षे. के लिए 600 एकड़ की भूमि की आवश्यकता के प्रति केवल 324.60 एकड़ भूमि ही आबटिंत की गई थी जसमें से 150 एकड़ भूमि ही क.भ.क्षे. के लिए उपयुक्त थी।

*¼iSjkxzkQ 2-5-3-6 **(iv)**½*

- लगभग ₹ 22.96 करोड़ के 567 निर्जल मूत्रालयों के निर्माण के बावजूद दि.न.नि. साधारण जनता को गुणवत्तापूर्ण शौच सुविधाएँ प्रदान करने में असफल रहे।

¼iSjkxzkQ 2-5-3-10½

- दि.न.नि. में इनके दिन प्रतिदिन स्वच्छता क्रियाकलापों जैसे सड़कों पर झाड़ू लगाना, नालों की गाद साफ किया जाना, शौचालयों की सफाई, इत्यादि की निगरानी हेतु कोई प्रणाली नहीं थी।

*¼iSjkxzkQ 2-5-7 **(i)**½*

vuqikyuk y[kkijh{kk

ljdkjh fo|ky;ksa dh ,dh—r vk/kkjHkwr volajpuk dk l/kkj ¼:ikrj½

परियोजना को शिक्षा विभाग (शि.वि.) द्वारा दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम (दि.रा.औ.अ.वि.नि.) को बिना किसी औपचारिक अनुबंध के सौंप दिया गया तथा कार्य के विस्तृत विवरण के अभाव में शिक्षा विभाग सुनिश्चित नहीं कर सका कि दि.रा.औ.अ.वि.नि. ने परियोजना के अंतर्गत दिए गए सभी कार्य पूर्ण कर दिये। प्रभावकारी निगरानी व्यवस्था नहीं थी। 183 विद्यालयों में से जहाँ दि.रा.औ.अ.वि.नि. द्वारा कार्य पूर्ण करने का दावा किया गया, शि.वि. ने केवल 78 को पूर्ण पाया, 50 प्रगति पर, तथा 55 को विद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित किया जाना था। शि.वि. ने दि.रा.औ.अ.वि.नि. को ₹ 343.13 करोड़ निर्गत किया, यद्यपि कैबिनेट ने परियोजना के लिए केवल ₹ 272.94 करोड़ स्वीकृत किया था।

¼iSjkxzkQ 3-2½

LokLF; rFkk ifjokj dY;k.k foHkkx

गुरू तेग बहादुर अस्पताल में निर्मित चार नये आवासीय बंगले पाँच से अधिक वर्षों तक काम में नहीं लाए गए जिसके कारण इन बंगलों के निर्माण में ₹ 1.26 करोड़ का का व्यय निष्फल था।

¼iSjkxzkQ 3-3½

;—r ,oa fiÝk foKku lLFkku

बिजनेस मॉडल से विचलित हो गया क्योंकि यह अपने संकाय सदस्यों को एक एकमुश्त राशि पैकेज के बजाय नियमित वेतनमान व भत्ते का भुगतान कर रहा था। मंत्रिमंडल का अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्टाफ को देय दरों से अधिक पर मकान किराया भत्ता व वार्षिक अभिवृद्धि तथा संकाय सदस्यों को गैर-व्यवहार्य भत्ता दिया गया।

¼iSjkxzkQ 3-4½

Je foHkkx

अस्वीकृत/वापस किए गए चेकों की उपकर राशि को वसूल करने हेतु शीघ्र कार्रवाई प्रारंभ करने में बोर्ड एवं उपायुक्त-श्रम की निष्क्रियता के कारण ₹ 37.10 लाख के ब्याज की हानि हुई। बोर्ड ने लेखापरीक्षा में इंगित ₹ 4.80 करोड़ से ₹ 3.95 करोड़ की वसूली की।

¼iSjkxzkQ 3-6½

ykd fuekZ.k foHkkx

लोक निर्माण विभाग रा.रा.क्षे.दि.स. ने ₹ 1.77 करोड़ का कार्य सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन एवं खुली निविदा आमंत्रण के बिना निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हुए सौंपा। कार्य में 551 दिनों की देरी से पूरा हुआ।

¼iSjkxzkQ 3-7½

लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता (एमजेड-3) तथा अधीक्षण अभियंता (एम-35) ने प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का उल्लंघन करते हुए एक कार्य के तीन विभाजित भागों के लिए अनियमित रूप से ₹ 13.54 करोड़ की बोलियाँ स्वीकृत की।

¼ijkxkQ 3-8½

Hkwfe vf/kxg.k vk;äk dh dk;Z iz.kkyh

भूमि अधिग्रहण कलेक्टर निर्धारित समय के भीतर अधिग्रहण प्रक्रियाओं को पूरा करने में तथा भूमि का कब्जा लेने से पहले मुआवजे का भुगतान करने में असफल रहे, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 12.68 करोड़ का परिहार्य ब्याज भुगतान करना पड़ा। तात्कालिकता खंड को एक नियमित ढ़ंग से लागू किया गया था। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के नियमित नियंत्रण करने के लिए निर्धारित समितियों का गठन नहीं किया गया।

¼ijkxkQ 3-10½

ifjogu foHkkx

₹ 9.85 करोड़ का व्यय निष्फल रहा क्योंकि परिवहन विभाग (प.वि.) ने पी आर टी पद्धति के लिए दिल्ली इन्टीग्रेटिड मल्टि-मॉडल ट्रांजिट सिस्टम लिमिटेड (डिम्टस) के द्वारा बनाये गए व्यवहार्यता प्रतिवेदनों पर, आगे किसी कार्यवाही को आरम्भ नहीं किया।

¼ijkxkQ 3-12½

परिवहन विभाग (प.वि.) की प्रवर्तन शाखा में ई-चालान की परियोजना की अपर्याप्त योजना के परिणामस्वरुप उपकरणों, जो कि तीन वर्षों से भी अधिक समय से निष्क्रिय पड़े रहे, के क्रय पर ₹ 1.47 करोड़ की निधियों का अवरोधन हुआ।

¼ijkxkQ 3-13½

ubZ fnYyh uxj ifj"kn }kjk cgqLrjh; dkj ikfdZax lgokf.kfT;d ifjlj dk izpkyu

न.दि.न.प. ने परामर्शदाता की नियुक्ति में संहितागत प्रावधानों का पालन नहीं किया। पुनः प्राप्ति कार्यप्रणाली में परिवर्तन की अनुमति से रियायतग्राही को अनुचित लाभ दिया गया। रियायतग्राही ने ₹ 96.36 लाख रियायत शुल्क कम जमा किया सांविधिक विनियमों के गैर-अनुपालन से कस्तूरबा गाँधी मार्ग बहुस्तरीय कार पार्किंग-सह-वाणिज्यिक परिसर को स्थगित कर दिया गया, जिससे ₹ 9.13 करोड़ का अवरोध हुआ और धरातल पार्किंग को बंद करने के कारण ₹ 11.71 करोड़ का घाटा हुआ। न.दि.न.प. ने स्थगित परियोजना के लिए आई.ई. के शुल्क के रूप में ₹ 1.22 करोड़ का अपव्यय किया।

¼ijkxkQ 3-14½